



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड, खण्डवा (म.प्र.)
फोन 0733 - 2222733 फैक्स 0733- 2223863
E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

कं0 / लेखा / ब्याजदर / 17 / 6032
प्रति,

दिनांक-28.02.2017

शाखा प्रबंधक,
शाखा.....(समस्त)

विषय:- कर्ज पर ब्याज दरों का पुर्ननिर्धारण बाबत ।
संदर्भ:- मु.का. पत्र कं. लेखा / 2009 / 2356 / 22.07.2009

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से बैंक एवं समितियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

बैंक संचालक मण्डल की बैठक दिनांक- 25.01.2017 के निर्णय अनुसार ऋणों की ब्याजदरों का पुनरीक्षण कर संलग्नानुसार ब्याज दरें दिनांक 01.03.2017 से प्रभावशील की गई हैं। उक्त ब्याज दरें बैंक द्वारा वितरित ऋणों एवं शेष आधिक्य पर दिनांक-01.03.2017 से प्रभावशील होगी।

ऋणों के कालातीत होने की दशा में प्रचलित ब्याजदर से समितियों से 1.00 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत ऋणों पर 3.00 प्रतिशत दण्ड ब्याज आगणित किया जावे।

निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त स्टॉफ एवं अधिनस्थ समितियों को सूचित करें ।

संलग्न :-यथोपरी ।

कं0 / लेखा / ब्याजदर / 17 / 6032
प्रतिलिपि :-

दिनांक-28.02.2017

मुख्य लेखापाल

1. अध्यक्ष, /समिति प्रबंधक/सेवा सह./आ.जा. सहकारी समिति
(समस्त) की ओर ब्याज दरों का पालन सुनिश्चित करने हेतु ।
2. कक्ष प्रमुख.....कक्ष, प्र0का0 खंडवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

मुख्य लेखापाल

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा

बैंक द्वारा वितरित ऋणों एवं शेष-आधिक्य पर दिनांक 01.03.2017 से प्रभावशील ब्याज दरें

क्र०	ऋण का प्रकार	बैंक द्वारा समितियों को वितरित ऋण पर	बैंक द्वारा सीधे हितग्राहियों को वितरित ऋण पर	समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित ऋण पर	रिमांक
01	02	03	04	05	06
1	अ0अ0कृषि ऋण	9.50	0.00	11.00	
2	मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण	9.50	0.00	11.00	
3	मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित	9.50	0.00	11.00	
4	लघु सिंचाई ऋण	9.50	0.00	11.00	
5	योजनाबद्ध वित्तपोषण कार्यक्रम कृषि क्षेत्र— (गेर आय.आर.डी.पी.)	11.00	--	--	
अ	डेयरी/मुर्गी पालन/ मछली पालन	9.50	11.00	11.00	
ब	बरानी खेती/भूमिविकास/बंजर भूमिविकास /जैविक खेती/एसटीएससी एक्शन प्लान	9.50	--	11.00	
6	ट्रेक्टर ऋण	11.00	12.00	12.00	
7	ट्रु-पहिया वाहन ऋण	12.00	--	14.00	
8	विधायक वाहन ऋण	--	12.00	--	
9	व्यावसायिक यातायात ऋण	--	12.50	--	
10	आभूषण तारण पर ऋण	--	11.00	--	
11	वेयरहाउस की रसीद के तारण पर ऋण	--	12.00	--	
12	कोल्ड स्टोरेज/ग्रामीण गोदाम ऋण व्यक्तिगत	--	13.00	--	
13	गोदाम ऋण संस्थाओं को	--	12.00	--	
14	मार्गेज ऋण	--	14.50	--	
15	एस0जी0एस0व्हाय0	12.00	--	14.00	
16	स्वयं सहायता समूह को साख सीमा	11.00	12.00	12.00	
17	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड	12.00	--	--	
18	फर्टीलाइजर/सार्वजनिक वितरण प्रणाली / माकेटिंग/कॉटन/कपासखरीदी/सोयाबीन/ धान/गेहू/खाद्यानखरीदी/दुग्ध संघ/जिला सहकारी भूमि विकास बैंक	14.00	--	--	
19	बचत बैंक साख सीमा	9.50	--	--	
20	अल्पावधि बुनकर (नाबार्ड)	12.00	--	--	
21	पावरलुम फेडरेशन (नाबार्ड) कपडा	12.00	--	--	
22	पावरलुम फेडरेशन यार्न	12.00	--	--	
23	रोक साख बुनकर समिति हेंडलूम, पावरलुम/औद्योगिक/रोक साख पावरलुम फेडरेशन (निजी स्रोत से)	12.00	--	--	
24	नागरिक बैंकों के लिये स्वयं की पूंजी पर	14.00	--	--	
25	रोक साख शकर कारखाना/ सूतमिल	11.50	--	--	
26	व्यक्तिगत व्यापारिक साख सीमा	--	13.00	--	
27	कस्टम हायरिंग	11.00	12.00	12.00	
28	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	11.00	12.00	12.00	
29	शासकीय ऋण	11.00	13.00	13.00	



क्र०	ऋण का प्रकार	बैंक द्वारा समितियों को वितरित ऋण	बैंक द्वारा सीधे हितग्राहियों को वितरित ऋण	समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित ऋण	रिमार्क
01	02	03	04	05	06
30	एग्रिकल्चरल एवं एगो बिजनेसहेतु/औषाधि एवं सुगंधित पौधों की खेती/अनुबंधित कृषि (निर्यात क्षेत्र)	11.00	13.00	13.00-	
31	एनएससी/इंदिरा विकास पत्र की रसीदों के तारण पर ऋण		निर्धारित से 2% अधिक	-	
32	बैंक कर्मचारी साख समिति	10.00	-	-	
33	उपभोक्ता उपकरण ऋण -अन्य	-	14.00	-	
34	अधिविकर्ष ऋण - अन्य	-	14.00	-	
35	सावधि ऋण	-	13.00	-	
36	व्यक्तिगत ऋण	-	13.00	-	
37	शिक्षा ऋण	-	12.00	-	
38	औद्योगिक ऋण:-	-	14.00	-	
39	अपना घर योजना:-	-	12.00	-	

:: बैंक कर्मचारी ऋणों पर ब्याज दर ::

1.	वाहन ऋण (दोपहिया)	9.00
2.	वाहन ऋण (चार पहिया)	8.00
3.	आवास ऋण :-	
	अ- रु0 1.00 लाख	8.50
	ब- रु0 1.00 लाख व उससे अधिक	9.50
4.	अधिविकर्ष सीमा	10.50
5.	उपभोक्ता उपकरण ऋण कर्मचारी	10.50
6.	अपना घर योजना	10.50
7.	विशेष अग्रिम	12.00
8.	कम्प्युटर ऋण कर्मचारी	10.00
9.	व्यक्तिगत ऋण	10.50
10.	एनएससी तारण पर कर्ज	सममूल्य पर
11.	शिक्षा ऋण (बैंक कर्मचारीयों के पुत्र/पुत्री हेतु)	11.00

उपरोक्तानुसार ब्याज दरें दिनांक 01.03.2017 से वितरित ऋणों एवं शेष-आधिक्यों पर भी प्रभावशील होगी।



(Signature)
मुख्य लेखापाल